परिस्थियों में गेंहू की संदिग्धता जाहिर होने पर जब्ती पृथक से तैयार कर गेंहू को सुरक्षित रखने हेतु उचित मूल्य दुकानदार नितिन कुमार पचपहाड़ को दिया गया व ट्रेक्टर एवं ट्राली को जब्त कर पुलिस थाना को सुपुर्द किया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के खण्ड 3 के उपखण्ड 2 का स्पष्ट उल्लंघन है । उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत जब्त 1810 कि.ग्रा. गेंहू मय बारदाना तथा मेसी ट्रेक्टर मय ट्राली न0 आरजे 17 आरए 7105 को राजसात करने के साथ ही धारा 6ए 2 के तहत अन्तरिम निस्तारण के बाबत निवेदन किया गया है। इस पर अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया कि जो गेंहू जब्त किये गये है वह अप्रार्थी सं. 1 की स्वंय की आराजी के हैं जिनको बेचान हेतु कृषि उपज मण्डी मे ले जाने हेतु अप्रार्थी सं0 3 का ट्रेक्टर मय ट्राली किराये पर लिया गया था व उक्त ट्रेक्टर ट्राली में से उक्त गेंहू का अवैध परिवहन माना जाकर जब्त किया गया है जो गेंहू लोटाया जावे व ट्रेक्टर मय ट्राली को प्रकरण से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रकरण में 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट 32 थाना भवानीमण्डी में दर्ज होकर चालान सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 खंड 6क और 6ड में स्पष्ट किया गया है " विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कलेक्टर को जब्त किए माल को रिहा करने का अधिकार नही है" इस कम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संस्करण 2016 व्याख्या खण्ड 6 व 7 में पृष्ठ संख्या 70 बिन्दु संख्या (36) विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कलेक्टर द्वारा जब्त किए गए माल को रिहा करने का अधिकार जो (Shambhu Dayal Agarwal vs.State of West Bengal.(1990) 2 SCJ166:(1990) 2 Crimes 665:1990(3)SCC 549:1990 SCC Cr LR(SC)464 के परिपेक्ष्य में है उसके अनुसार " विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कलेक्टर को जब्त किए माल को रिहा करने का अधिकार नही है" इसी कम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संस्करण 2016 व्याख्या खण्ड 6 ड व 7 में पृष्ठ संख्या 79 बिन्दु संख्या (56) विशेष न्यायालय को जब्त की गयी वस्तु को रिलीज करने के लिये शक्तियों निहित है, जबकि जब्त की गयी वस्तु को अधिहृत करने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा आंरभ नही की गयी हो (M/s Devendra Kumar & Bros. Vs. State of U.P. & M/s Anil Traders vs. State of U.P. 1994(1) EFR 49 अनुसार आ.व.अधिनियम 1955 धारा 3,6क,6क(2)सीआरपीसी 1973,खण्ड 457 और 157 – जब किसी अपराध के लिये विशेष अदालत द्वारा संज्ञान ले लिया गया हो और धारा 6 के तहत अधिहरण के लिये कार्यवाही आरंभ नही हुई हो, इस दृष्टिकोण को अपनाने कोई कठिनाई नही हो सकती है कि विशेष अदालत को अकेले जब्त माल की रिहाई या वापसी के लिये आवेदन से निपटने के लिये क्षेत्राधिकार होगा। आगे स्पष्ट किया गया है कि "हम दोहरा सकते हैं कि विशेष अदालत शक्तियों का प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं जबकि आवश्यक वस्तुओं के अधिहरण की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा आंरभ नही की गयी हो। उपरोक्तानुसार थाना भवानीमण्डी में दर्ज प्र0सू0रिपोर्ट 32 बाबत सक्षम न्यायालय (विद्वान मजिस्ट्रेट जो कि विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम भी है) में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है व प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा आवश्यक वस्तुओं के अधिहरण की कार्यवाही नहीं करने से माननीय विशेष अदालत को अकेले जब्त माल की रिहाई या वापसी के लिये आवेदन से निपटने के लिये विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रा0पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकुंज गोहाएन)
जिला कलेक्टर
झालावाड़

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

प्रकरण संख्या 18/प्रा0पत्र/20 तारिख दायरा: 01.07.2010

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय झालावाड़

बनाम

01.गोकुलसिंह पुत्र शोभागसिंह राजपूत नि0 ताई का खेड़ा के ग्राम ऐराखेड़ा, मिश्रोली तहसील पचपहाड़

02.ड्राईवर गोकुलसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत नि0 आनन्दपुरा,मिश्रोली तहसील पचपहाड़

03.नेपालसिंह पुत्र बापूलाल जाति राजपूत नि0 आनन्दपुरा,मिश्रोली तहसील पचपहाड़

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 1810 कि. ग्रा. गेंहू मय बारदान एवं ट्रेक्टर मय ट्राली न0 आरजे 17 आरए 7105 को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः— पेरोकार रसद
श्री अविनाश गुप्ता अभिभाषक अप्रार्थीगण

—: निर्णय :— दिनांकः 25.08.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा में प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार पचपहाड़ के पत्रांक रीडर/2020/63 के अनुसार जब्तशुदा गेंहू की जांच बाबत तहसील भवन पंहुचे तहसील की तहरीर मुताबिक दिनांक 31.01.2020 को गोकुलसिंह पुत्र. शोभागसिंह के ग्राम ऐराखेड़ा,मिश्रोली तहसील पचपहाड़ में स्थित कुए पर राशन के गेंहू के कट्टे खाली हुए तथा उन कट्टों में से गेंहू खाली कर कुछ गेंहू खुद के मिलाकर ट्रेक्टर ट्राली न0 आरजे 17 आरए 7105 में खुले गेंहू कुछ अन्य प्रकार के कट्टों में भरे गये और उनको कृषि उपज मण्डी भवानीमण्डी के लिये ले जाया जा रहा है कि सूचना पर नाकाबंदी कर पचपहाड़ बाबा चौराहा उक्त ट्रेक्टर जिस पर नम्बर अंकित नही थे। ट्रेक्टर में गेंहू के 14 कट्टे मुंह बन्द करके रखे हुए ट्राली में लगभग 25 क्विंटल गेंहू भरे हुए मिले। ड्राईवर गोकुलसिंह पुत्र परबतसिंह द्वारा बताया गया कि सुबह 6.00 बजे गोकुल पिता शोभाग सिंह का फोन आया कि नारंगी व गेंहू ले जाने के लिये किराये से ट्रेक्टर की आवश्यकता है जिस पर ट्रेक्टर लेकर कुंए पर पंहुचा आदि। उपयुक्त संबंध में जॉच करने पर तहसील भवन परिसर पचपहाड़ में एक ट्रेक्टर मय ट्राली गेंहू से भरा हुआ खड़ा था। ट्राली में गेंहू के साथ 14 कट्टे मुंह बन्द(सील बन्द नही) रखे हुए थे। ड्राईवर गोकुलसिंह उपस्थित मिला उसके बयान पृथक से लिये गये। इसी कम में ट्रेक्टर मालिक नेपालसिंह द्वारा बताया गया कि गोकुलसिंह आ0 शोभागसिंह द्वारा ट्रेक्टर किराये पर 500/—रू में भेजा गया बयान पृथक से लिये गये। गोकुलसिंह आ0 शोभागसिंह से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर मौके पर आने से मना कर दिया व बताया कि ट्रेक्टर मे भरा गेंहू स्वंय का है। उपखण्ड अधिकारी,भवानीमण्डी द्वारा बताई लोकेशन पर ड्राईवर के साथ जाने पर ताई का खेड़ा में गोकुलसिंह आ0 शोभागसिंह के कुंए के पास स्थित खेत में 36 खाली कट्टे पाये गये। उक्त परिस्थियों में गेंहू की संदिग्धता जाहिर होने पर जब्ती पृथक से तैयार कर गेंहू को सुरक्षित रखने हेतु उचित मूल्य दुकानदार नितिन कुमार पचपहाड़ को दिया गया व ट्रेक्टर एवं ट्राली को जब्त कर पुलिस थाना को सुपुर्द किया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के खण्ड 3 के उपखण्ड 2 का स्पष्ट उल्लघन है । उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत जब्त 1810कि.ग्रा. गेंहू मय बारदाना तथा मेसी ट्रेक्टर मय ट्राली न0 आरजे 17 आरए 7105 को राजसात करने के साथ ही धारा 6ए 2 के तहत अन्तरिम निस्तारण के बाबत निवेदन किया गया है।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जर्ये सूचना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री अविनाश गुप्ता उपस्थित हुए।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि तहसीलदार पचपहाड़ की सूचना के आधार पर तहसील भवन कार्यालय पहुचने पर ट्रेक्टर मय ट्राली गेंहू से भरा हुआ खड़ा था। ट्राली में गेंहू के साथ 14 कट्टे मुंह बन्द(सील बन्द नही) रखे हुए थे। ड्राईवर गोकुलसिंह उपस्थित मिला उसके बयान पृथक से लिये गये। इसी कम में ट्रेक्टर मालिक नेपालसिंह द्वारा बताया गया कि गोकुलसिंह आ0 शोभागसिंह द्वारा ट्रेक्टर किराये पर 500/—रू में भेजा गया बयान पृथक से लिये गये। गोकुलसिंह आ0 शोभागसिंह से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर मौके पर आने से मना कर दिया व बताया कि ट्रेक्टर में भरा गेंहू स्वंय का है। उपखण्ड अधिकारी,भवानीमण्डी द्वारा बताई लोकेशन पर ड्राईवर के साथ जाने पर ताई का खेड़ा में गोकुलसिंह आ0 शोभागसिंह के कुंए के पास स्थित खेत में 36 खाली कट्टे पाये गये। उक्त

जिला कलक्टर
झालावाड़